

प्ररूप 2क  
(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र  
लोक सभा के लिए निर्वाचन



नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग- 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए .....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र  
से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ ।

अभ्यर्थी का नाम .....

पिता/माता/पति का नाम .....

उसका डाक पता .....

उसका नाम ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र] की  
निर्वाचक नामावली के भाग सं०..... में क्रम सं० .....पर प्रविष्ट है ।

मेरा नाम ..... है जो ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र  
[में समाविष्ट .....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० .....

में क्रम सं० ..... पर प्रविष्ट है ।

तारीख .....

प्रस्थापक के हस्ताक्षर

अबदुर रहमान

## भाग-2

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम एतद्वारा लोक सभा के निर्वाचन के लिए 11- कटिहार संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम अबदुर रहमान

पिता/माता/पति का नाम दियामनुल्ला

उसका डाक पता ग्राम - कुशैलि, धाना + पी० - मनसाही, कटिहार

उसका नाम 11- कटिहार संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट 64- मनिहारी

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 44 में

क्रम संख्यांक 477 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीकरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं :-

### प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	प्रस्तावक का निर्वाचक नामावली संख्यांक		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
		निर्वाचक नामावली भाग संख्यांक	उस भाग की क्रम सं०			
1	2	3	4	5	6	7
1	67-मनिहारी	44	473	माँ० ईशमाईलि	श्री० इशमाईलि	26.3.19
2	67-मनिहारी	44	70	आबू तारीर	आबू तारीर	26.3.19
3	67-मनिहारी	146	410	अजय कुमार साह	अजय कुमार साह	26.3.19
4	67-मनिहारी	66	1006	कुमार रवि	कुमार रवि	26.03.19
5	67-मनिहारी	146	529	मंगल साह	मंगल साह	26.03.19
6	66-प्रतापपुर	44	313	बैचन दास	बैचन दास	26.3.19
7	63-कटिहार	108	1110	सुलील गौतम	Sushil Gautam	26.03.19
8	67-मनिहारी	68	25	शमेश पाखवान	शमेश पाखवान	26.3.19
9	67-मनिहारी	161	647	मनोज कुमार	मनोज कुमार	26.3.19
10	63-कटिहार	278	166	शमेश कुमार सिंह	शमेश कुमार सिंह	26.3.19

कृपया ध्यान दें :- प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के दस निर्वाचक होने चाहिए।

अबदुर रहमान

### भाग— 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य या देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है :

(ख) मैंने ..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

[नीचे (ग) (i) या (ग) (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ग) (i) मुझे इस निर्वाचन में ..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए ।

या

(ग) (ii) मुझे इस निर्वाचन में पीपल्स पार्टी ऑफ़ इंडिया (डेमोक्रेटिक) दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है / मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में :-

(i) ..... (ii) ..... (iii) ..... हैं ।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर देवताशरी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ।

(ङ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ ।

\*\*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ..... \*\*जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो ..... राज्य के उस राज्य के ..... (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित \*\*जाति/जनजाति है ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा ।

तारीख 26.03.2019

अबुल रहमान  
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

\* जम्मू - कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में "मे समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए ।

\*\* यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए ।

\*\* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए ।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है ।

अबुल रहमान



**भाग— 3क**  
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ; 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की—  
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या  
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,  
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,  
जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित  
किया गया है ।

हाँ/नहीं

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक ..... लागू नहीं
- (ii) पुलिस थाना (थाने) ..... लागू नहीं  
जिला (जिले) ..... लागू नहीं  
राज्य ..... लागू नहीं
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण,  
जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था ..... लागू नहीं
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) ..... लागू नहीं
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ..... लागू नहीं
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और / या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें ..  
..... लागू नहीं
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ..... लागू नहीं
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टयां और तारीख ..... लागू नहीं
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण  
आवेदन फाइल किए गए थे ..... लागू नहीं
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या  
वह/वे लंबित है ..... लागू नहीं
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो —  
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ..... लागू नहीं  
(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) ..... लागू नहीं

अब्दुर रहमान

- (2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है?— (हाँ/नहीं)  
 —यदि हाँ, धारित पद के ब्यौरे ..... लागू नहीं
- (3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है? (हाँ/नहीं)  
 —यदि हाँ, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है ..... लागू नहीं
- (4) क्या अभ्यर्थी किसी बाहरी देश के प्रति राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है? (हाँ/नहीं)  
 —यदि हाँ, ब्यौरे दीजिए .....
- (5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरहित किया गया है? (हाँ/नहीं)  
 —यदि हाँ, निरहित किए जाने की अवधि .....
- (6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है? (हाँ/नहीं)  
 —यदि हाँ, ऐसी पदच्युति की तारीख .....
- (7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यक्ति हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा (संविदाएं) रखता है। जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है? (हाँ/नहीं)  
 —यदि हाँ, तो कौन सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा (ओं) के ब्यौरे .....
- (8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है? (हाँ/नहीं)  
 —यदि हाँ, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे .....
- (9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरहित किया गया है? (हाँ/नहीं)  
 —यदि हाँ, निहरन की तारीख .....

स्थान ... कटिहार .....

तारीख ... 26.3.2019

अब्दुर रहमान  
 अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अब्दुर रहमान

भाग-4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम संख्या- 14 (चौदह)

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 26.03.19 (तारीख) को 01.10 PM (बजे),

\*अभ्यर्थी/ प्रस्तापक अब्दुर रहमान (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख 26.03.19

26/3/19  
Returning Officer  
11-Kathal Panchayat Constituency

भाग-5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

.....  
.....  
.....

तारीख .....

रिटर्निंग आफिसर

..... (छिन्न) .....